[भारत के राजपत्र भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, 28 जून, 2023

अधिसूचना

का.आ. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री सुचिन्द्र मिश्रा के स्थान पर डॉ एम. पी. तिनाराला, अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में अंशकालिक सदस्य के रूप में नामित करती है।

(फा.सं. ए-11011/04/2022-बीमा-I)

क्रिगेर (विनोद कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

[TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii) OF THE GAZETTE OF INDIA]

Government of India Ministry of Finance Department of Financial Services

New Delhi, dated the 28th June, 2023

NOTIFICATION

S. O.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Central Government hereby nominates Dr. M. P. Tangirala, Additional Secretary, Department of Financial Services as part-time member of the Insurance Regulatory and Development Authority of India with immediate effect and until further orders, *vice* Shri Suchindra Misra.

(F. No. A-11011/04/2022-Ins.I)

(Vinod Kumar)

Under Secretary to the Government of India